2012/00030

मिसल नं0 02/2012 सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा बनाम जोगेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-10-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह कौम राजपूत सा0 जसपुरा को ग्राम जसपुरा की ख0 नं0 6/110 रकबा 0.32 है0 भूमि आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 11.06.2011 को प्रस्तुत किया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । पटवारी हल्का डोल्या के मौका पर्चा दिनांक 22.12.2014 के अनुसार ग्राम जसपुरा मे जोगेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह कौम राजपूत फोत होना बताया गया है एवं अप्रार्थी के कायम मुकामान ग्राम जसपुरा मे नही रहते है एवं किसी अन्यत्र स्थान पर रहना बताया है । जिसको मूल ही तहसीलदार लाडपुरा के पत्र क्रमांक /भू.अ./15/244 दि0 15.01.2015 से इस न्यायालय मे भिजवाया गया है । इसी प्रकार पर्चा मौका व रिपोर्ट पटवारी दिनांक 03.05.2018 मे अंकित किया है कि उक्त व्यक्ति व परिवार का सदस्य ग्राम पंचायत डोल्या मे निवास नही करते है । चूंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2014 व 03.05.2018 मे अंकित तथ्यों के आधार पर जोगेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह कौम राजपूत फोत होना बताया गया है एवं अप्रार्थी के कायम मुकामान ग्राम जसपुरा मे नही रहते है एवं किसी अन्यत्र स्थान पर रहना बताया है । जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नही है ।अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर वारिसान के सही पते अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार लाडपुरा को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	